न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 15/2008

1. गिर्राज पुत्र पन्ना लाल जाति गुर्जर निवासी समेल बैंसला खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये परियोजना निदेशक, पी.आई.यू. एन.एच.11 कार्यालय–156 गिरनार कॉलोनी, वैशाली नगर जयपुर

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र दिलवाने मुआवजा।

उपस्थिति– 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से

निर्णय दिनांकः 29.11.2021

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी सिकराय द्वारा ग्राम कैलाई तहसील सिकराय में स्थित खसरा नं0 156 में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 हेतु अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे का निर्धारण अन्य व्यक्ति के नाम से कर दिया। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम कैलाई के खसरा नंबर 156 में से अवाप्त की गई भूमि में से 20X 20 कुल 400 वर्गफीट भूमि व उसमें निर्मित दुकानों का मुआवजा वाणिज्यिक दर से प्रार्थी के नाम दिलवाने हेतु यह आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय से टिप्पणी एवं मूल अभिलेख प्राप्त किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी सिकराय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 को फोरलेन करने हेतु ग्राम कैलाई तहसील सिकराय के खसरा नंबर 156 में से 1770.50 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। खसरा नंबर 156/1 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम कैलाई में से उक्त भूमि के खातेदार रामलाल, लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी कैलाई से 20"20 कुल 400 वर्गफीट वाणिज्यिक भूमि प्रार्थी ने जरिये विकय पत्र खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया। उक्त भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त करने के बाद उक्त भूमि मे प्रार्थी ने दुकानों का निर्माण करवाया है और उक्त भूमि पूर्णरूप से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि है। उक्त भूमि व उसमें बनी हुई दुकान पर प्रार्थी मौके पर काबिज है। उक्त प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि का इन्द्राज जमाबंदी में भी हो रहा है। प्रार्थी के कब्जे व

1

स्वामित्व की उक्त भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 को फोरलेन हेतु अवाप्त किया गया है। किन्तु उक्त भूमि व उसमें निर्मित दुकान का मुआवजा प्रार्थी के नाम तय नहीं किया गया है। उक्त भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक दर से प्रार्थी के नाम तय किया जाना जरूरी है एवं कब्जे अनुसार एवं निर्माण अनुसार मौका दिखाकर प्रार्थी को मुआवजा दिलाया जाना जरूरी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी सिकराय द्वारा अखबार में विज्ञप्ति निकालने पर प्रार्थी ने आपत्ति भी पेश की थी, किन्तु प्रार्थी की आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। प्रार्थी को अवार्ड राशि तय करने की कतई जानकारी नहीं थी। दिनांक 10.1.2008 को जानकारी हुई कि ग्राम कैलाई में से फोरलेन में गई भूमि का मुआवजा मिलने वाला है, तब प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी सिकराय के कार्यालय में मालुम किया तो जानकारी हुई कि प्रार्थी के नाम मुआवजा ही तय नहीं किया गया है। तब प्रार्थी ने उपखंड अधिकारी सिकराय को प्रार्थी की भूमि व उक्त भूमि में बनी दुकानों का मुआवजा दिलवाने हेतु निवेदन किया तो उपखंड अधिकारी सिकराय द्वारा श्रीमानजी के न्यायालय में आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवगत कराया गया। अतः तथ्यों की जांच की जाकर खसरा नंबर 156 ग्राम कैलाई में से अवाप्त की गई भूमि में से 20X 20 कुल 400 वर्गफीट भूमि व उसमें निर्मित दुकानों का मुआवजा वाणिज्यिक दर से प्रार्थी को दिलवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 के महवा भरतपुर खण्ड को फोरलेनीकरण करने हेतु भूमि अवाप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना दिनांक 12.05.2006 को जारी की गई थी एवं अधिनियम की धारा 3 डी के अंतर्गत अधिसूचना 14.09.2006 को जारी की गई थी। सक्षम प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के प्रकाशन में स्पष्ठ रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करतरा है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। प्रार्थी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। धारा 3 जी के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (7) में दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक से प्राप्त निर्धारित डी.एल.सी. दर के आधार पर किया गया। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बेसिक शिडयूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3 एच के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी

खसरा नं0 156 किस्म चाही का अवाप्तशुदा रकबा 1770.50 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 3,15,007/–रू0 तथा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित निर्माण इत्यादि की मुआवजा राशि 4,01,463/–रूपये व 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार राशि 71,647/– रूपये कुल मुआवजा राशि 7,88,117/–रूपये निर्धारित की गई, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों के पक्ष में सक्षम अधिकारी के समक्ष जमा करवा दिया गया है। प्रार्थी अब गलत आधारों पर मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3 डी अधिसूचना एवं अवार्ड आदेश अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी की किस्म चाही तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात के काबिज खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति दीगर पक्षकार हैं। बिना स्वामित्व के निर्धारण के प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी प्रकार का कोई हक हकूक उत्पन्न नही होता है। स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार की मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी प्राधिकरण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पत्र कमांकः 608 दिनांक 20.9.2017 के तत्समय राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व कर्मियों द्वारा किये गये सर्वे अंतर्गत धारा धारा 3 ए के तहत अधिसूचना जारी कराई गई है। ग्राम कैलाई के खसरा नं0 156 चाही प्रथम रकबा 1770.50 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी, जिसमें श्री गिर्राज पुत्र पन्ना लाल गुर्जर निवासी समेल बैंसला खुर्द तहसील बसवा खातेदार नहीं है। मौजूदा डी0एल0सी0 दरों के अनुसार तत्समय राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मुआवजा निर्धारण किया गया है। प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 156 में प्रार्थी खातेदार नही होने से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांकः 608 दिनांक 20.9.2017 के अनुसार ग्राम कैलाई के खसरा नंबर 156 में से रकबा 1770.50 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। खसरा नंबर 156 में प्रार्थी खातेदार नहीं है। पत्रावली में संलग्न विकय पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम कैलाई के खसरा नंबर 156/1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा में से 20X20 कुल 400 वर्गफीट भूमि खातेदारान रामलाल पुत्र मूल्या व लक्ष्मण पुत्र भोंरया जाति गुर्जर निवासी कैलाई से दिनांक 2.2.2002 को कय की गई थी। उक्त विकय पत्र का जमाबंदी में अंकन नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के वाणिज्यिक होने बाबत कोई संपरिवर्तन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का यह कथन असत्य है कि प्रार्थी की कयशुदा भूमि का इन्द्राज जमाबंदी में हो रहा है एवं भूमि की किस्म वाणिज्यिक है। प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी सिकराय को कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 156 किस्म चाही का अवाप्तशुदा रकबा 1770.50 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 3,15,007/—रूपये तथा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित निर्माण इत्यादि की मुआवजा राशि 4,01,463/—रूपये व 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार राशि 71,647/— रूपये कुल मुआवजा राशि 7,88,117/—रूपये निर्धारित की गई जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों के नाम सक्षम अधिकारी के यहाँ जमा करवा दिया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की ओर से प्रस्तुत जबाव मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं मुआवजा राशि का निर्धारण कराया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (7) मे दिये गये निर्देशों की पालना में अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक से प्राप्त निर्धारित डी0एल0सी दर के आधार पर किया गया है एवं अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि का मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया जाना व्यक्त करते हुए सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दिया जाना बताया है। स्वामित्व का निर्धारण आर्बीट्रेशन के तहत नहीं किया जा सकता है। स्वामित्व के निर्धारण हेतु प्रार्थी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official